

प्रेषक,

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0,
जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जनपदीय समुचित प्राधिकारी
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश।

सं०:-प.क./10-जे.डी./05(Vol.-III)/2014/3873-75 लखनऊ, दिनांक 16 अप्रैल 2014

विषय:-गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 में संशोधन विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व 24 फरवरी 2014 के तत्कालिक प्रभाव से क्रियान्वयन विषयक।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस पत्र के साथ संलग्न गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 में संशोधन विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व 24 फरवरी 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत जेनेटिक क्लीनिक / अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक / इमेजिंग क्लीनिक द्वारा प्रसव पूर्व जाँच की दशा में अभिलेख रखे जाने हेतु नियत प्रारूप-च (Form-F) में संशोधन किये गये हैं।

3- अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2014 द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 के नियम 18 के पश्चात् नियम 18 क सम्मिलित किया गया है, जो अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारियों हेतु साधारण आचार संहिता का पालन, सलाहकार समितियों के लिए संहिता का पालन, शिकायत और अन्वेषण हेतु साधारण आचरण का पालन, आवेदनों के रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण हेतु आचरण का पालन, विधिक कार्यवाही हेतु आचरण का पालन, राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं किये गये सभी रजिस्ट्रेशनों की सूचना को तुरन्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप-ज के रख-रखाव, अल्ट्रासाउण्ड उपस्करों के विनियमों के पालन, निरीक्षण एवं निगरानी के लिए आचरण का पालन, जवाबदेही के लिए आचरण का पालन व वित्तीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों के पालन के सम्बन्ध में है।

4- उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा संशोधित प्रपत्र-च(एफ) को अपने जनपद में तत्कालिक प्रभाव से लागू करें तथा अपने जनपद के पंजीकृत समस्त केन्द्रों को संशोधित प्रपत्र-च(एफ) उपलब्ध करायें तथा संशोधित प्रारूप पर ही केन्द्रों से रिपोर्ट स्वीकार करें। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति अपने स्तर से प्रत्येक समुचित प्राधिकारी व सलाहकार समिति के

समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ उपलब्ध करायें तथा अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2014 को भी तत्कालिक प्रभाव से अपने जनपद में लागू करें।

5- अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 पर विकसित की जा रही वेबसाईट www.pyaribitiya.in पर भी अपलोड कर दी गयी है। यह वेबसाईट अभी टेस्टिंग के चरणों में है। शीघ्र ही यह वेबसाईट पूरे प्रदेश के केन्द्रों से सम्बन्धित प्रपत्रों (डी/ई/एफ/जी, जो लागू हो) पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग हेतु उपलब्ध होगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कैलाश कुशवाहा)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ0सं0:-प.क./10-जे.डी./05(Vol.-III)/2014/

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) डा0 आर0पी0 मीना, निदेशक (पी0एन0डी0टी0), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
- (2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (7) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (8) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ इस निर्देश के साथ कि अपने जनपद में उक्त दोनों अधिसूचनाओं के तत्कालिक प्रभाव से क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से जनपद के समस्त समुचित प्राधिकारियों को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायें तथा क्रियान्वयन में समुचित प्राधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा संशोधित प्रपत्र-च (एफ) की प्रति अपने स्तर से जनपद समस्त जेनेटिक क्लीनिक / अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक / इमेजिंग क्लीनिक (प्राईवेट व सरकारी दोनों) को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(कैलाश कुशवाहा)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रेषक,

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994)
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०,
जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जनपदीय समुचित प्राधिकारी
(पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश।

सं०-प.क./10-जे.डी./05(Vol.-III)/2014/

लखनऊ, दिनांक 16 अप्रैल 2014

विषय:-गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 में संशोधन विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व 24 फरवरी 2014 के तत्कालिक प्रभाव से क्रियान्वयन विषयक।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस पत्र के साथ संलग्न गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 में संशोधन विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व 24 फरवरी 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत जेनेटिक क्लीनिक / अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक / इमेजिंग क्लीनिक द्वारा प्रसव पूर्व जाँच की दशा में अभिलेख रखे जाने हेतु नियत प्रारूप-च (Form-F) में संशोधन किये गये हैं।

3- अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2014 द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 के नियम 18 के पश्चात् नियम 18 के सम्मिलित किया गया है, जो अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारियों हेतु साधारण आचार संहिता का पालन, सलाहकार समितियों के लिए संहिता का पालन, शिकायत और अन्वेषण हेतु साधारण आचरण का पालन, आवेदनों के रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण हेतु आचरण का पालन, विधिक कार्यवाही हेतु आचरण का पालन, राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं किये गये सभी रजिस्ट्रेशनों की सूचना को तुरन्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप-ज के रख-रखाव, अल्ट्रासाउण्ड उपकरणों के विनियमों के पालन, निरीक्षण एवं निगरानी के लिए आचरण का पालन, जवाबदेही के लिए आचरण का पालन व वित्तीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों के पालन के सम्बन्ध में है।

4- उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा संशोधित प्रपत्र-च(एफ) को अपने जनपद में तत्कालिक प्रभाव से लागू करें तथा अपने जनपद के पंजीकृत समस्त केन्द्रों को संशोधित प्रपत्र-च(एफ) उपलब्ध करायें तथा संशोधित प्रारूप पर ही केन्द्रों से रिपोर्ट स्वीकार करें। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति अपने स्तर से प्रत्येक समुचित प्राधिकारी व सलाहकार समिति के

समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराये तथा अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2014 को भी तत्कालिक प्रभाव से अपने जनपद में लागू करें।

5- अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 पर विकसित की जा रही वेबसाईट www.pyaribitiya.in पर भी अपलोड कर दी गयी है। यह वेबसाईट अभी टेस्टिंग के चरणों में है। शीघ्र ही यह वेबसाईट पूरे प्रदेश के केन्द्रों से सम्बन्धित प्रपत्रों (डी/ई/एफ/जी, जो लागू हो) पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग हेतु उपलब्ध होगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कैलाश कुशवाहा)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ0सं0:-प.क./10-जे.डी./05(Vol.-III)/2014/3948-116 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) डा0 आर0पी0 मीना, निदेशक (पी0एन0डी0टी0), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
- (2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (7) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ।
- (8) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 व दिनांक 24 फरवरी 2014 की प्रति के साथ इस निर्देश के साथ कि अपने जनपद में उक्त दोनों अधिसूचनाओं के तत्कालिक प्रभाव से क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से जनपद के समस्त समुचित प्राधिकारियों को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराये तथा क्रियान्वयन में समुचित प्राधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा संशोधित प्रपत्र-च (एफ) की प्रति अपने स्तर से जनपद समस्त जेनेटिक क्लीनिक / अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक / इमेजिंग क्लीनिक (प्राईवेट व सरकारी दोनों) को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(कैलाश कुशवाहा)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2014

G.S.R. 77 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, for Form F, the following Form shall be substituted:

[See Proviso to Section 4(3), rule 9(4) and rule 10(1A)]

**FORM FOR MAINTENANCE OF RECORD IN CASE OF PRENATAL DIAGNOSTIC TEST /PROCEDURE
BY GENETIC CLINIC/ULTRASOUND CLINIC/IMAGING CENTRE**

Section A: To be filled in for all Diagnostic Procedures/Tests

1. Name and complete address of Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging centre: _____

2. Registration No. (Under PC& PNDT Act, 1994) _____

3. Patient's name _____ Age _____

4. Total Number of living children : _____

(a) Number of living Sons with age of each living son (in years or months): _____

(b) Number of living Daughters with age of each living daughter (in years or months) : _____

5. Husband's /Wife's/ Father's / Mother's Name : _____

6. Full postal address of the patient with Contact Number, if any _____

7. (a) Referred by (Full name and address of Doctor(s)/ Genetic Counseling Centre): _____

(Referral slips to be preserved carefully with Form F)

(b) **Self-Referral** by Gynaecologist/Radiologist/Registered Medical Practitioner conducting the diagnostic procedures: _____

(Referral note with indications and case papers of the patient to be preserved with Form F)

(Self-referral does not mean a client coming to a clinic and requesting for the test or the relative/s requesting for the test of a pregnant woman)

8. Last menstrual period or weeks of pregnancy : _____

Section B: To be filled in for performing non-invasive diagnostic Procedures/ Tests only

9. Name of the doctor performing the procedure/s : _____

10. Indication/s for diagnosis procedure _____ (specify with reference to the request made in the referral slip or in a self-referral note)

(Ultrasonography prenatal diagnosis during pregnancy should only be performed when indicated. The following is the representative list of indications for ultrasound during pregnancy. (Put a "Tick" against the appropriate indication/s for ultrasound)

- i. To diagnose intra-uterine and/or ectopic pregnancy and confirm viability.
- ii. Estimation of gestational age (dating).
- iii. Detection of number of fetuses and their chorionicity.
- iv. Suspected pregnancy with IUCD in-situ or suspected pregnancy following contraceptive failure/MTP failure.
- v. Vaginal bleeding/leaking.
- vi. Follow-up of cases of abortion.
- vii. Assessment of cervical canal and diameter of internal os.
- viii. Discrepancy between uterine size and period of amenorrhoea.
- ix. Any suspected adnexal or uterine pathology/abnormality.
- x. Detection of chromosomal abnormalities, fetal structural defects and other abnormalities and their follow-up.
- xi. To evaluate fetal presentation and position.
- xii. Assessment of liquor amnii.
- xiii. Preterm labor / preterm premature rupture of membranes.
- xiv. Evaluation of placental position, thickness, grading and abnormalities (placenta praevia, retro placental hemorrhage, abnormal adherence etc.).
- xv. Evaluation of umbilical cord – presentation, insertion, nuchal encirclement, number of vessels and presence of true knot.
- xvi. Evaluation of previous Caesarean Section scars.
- xvii. Evaluation of fetal growth parameters, fetal weight and fetal well being.
- xviii. Color flow mapping and duplex Doppler studies.
- xix. Ultrasound guided procedures such as medical termination of pregnancy, external cephalic version etc. and their follow-up.
- xx. Adjunct to diagnostic and therapeutic invasive interventions such as chorionic villus sampling (CVS), amniocenteses, fetal blood sampling, fetal skin biopsy, amnio-infusion, intrauterine infusion, placement of shunts etc.
- xxi. Observation of intra-partum events.
- xxii. Medical/surgical conditions complicating pregnancy.
- xxiii. Research/scientific studies in recognized institutions.

11. Procedures carried out (Non-Invasive) (Put a "Tick" on the appropriate procedure)

i. Ultrasound

(Important Note: Ultrasound is not indicated/advised/performed to determine the sex of fetus except for diagnosis of sex-linked diseases such as Duchene Muscular Dystrophy, Hemophilia A & B etc.)

ii. Any other (specify) _____

12. Date on which declaration of pregnant woman/ person was obtained : _____

13. Date on which procedures carried out: _____
14. Result of the non-invasive procedure carried out (*report in brief of the test including ultrasound carried out*)

15. The result of pre-natal diagnostic procedures was conveyed to _____ on _____
16. Any indication for MTP as per the abnormality detected in the diagnostic procedures/ tests _____

Date: _____ Name, Signature and Registration Number with Seal of the
Gynaecologist/Radiologist/Registered Medical Practitioner
Place: _____ performing Diagnostic Procedure/s

SECTION C: To be filled for performing invasive Procedures/ Tests only

17. Name of the doctor/s performing the procedure/s: _____
18. History of genetic/medical disease in the family (specify): _____ Basis of diagnosis ("Tick" on appropriate basis of diagnosis):
(a) Clinical (b) Bio-chemical
(c) Cytogenetic (d) other (e.g. radiological, ultrasonography etc.-specify)
19. Indication/s for the diagnosis procedure ("Tick" on appropriate indication/s):
A. Previous child/children with:
(i) Chromosomal disorders (ii) Metabolic disorders
(iii) Congenital anomaly (iv) Mental Disability
(v) Haemoglobinopathy (vi) Sex linked disorders
(vii) Single gene disorder (viii) Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years)
C. Mother/father/sibling has genetic disease (specify)
D. Other (specify) _____
20. Date on which consent of pregnant woman / person was obtained in Form G prescribed in PC&PNDT Act, 1994 : _____
21. Invasive procedures carried out ("Tick" on appropriate indication/s)
i. Amniocentesis ii. Chorionic Villi aspiration
iii. Fetal biopsy iv. Cordocentesis
v. Any other (specify)
22. Any complication/s of invasive procedure (specify) _____
23. Additional tests recommended (Please mention if applicable)
(i) Chromosomal studies (ii) Biochemical studies
(iii) Molecular studies (iv) Pre-implantation gender diagnosis
(v) Any other (specify)
24. Result of the Procedures/ Tests carried out (*report in brief of the invasive tests/ procedures carried out*) _____
25. Date on which procedures carried out: _____
26. The result of pre-natal diagnostic procedures was conveyed to _____ on _____

27. Any indication for MTP as per the abnormality detected in the diagnostic procedures/ tests _____

Date :
Place

Name, Signature and Registration Number with Seal of the
Gynaecologist/Radiologist/Registered Medical Practitioner
performing Diagnostic Procedure/s

SECTION D: Declaration

**DECLARATION OF THE PERSON UNDERGOING
PRENATAL DIAGNOSTIC TEST/ PROCEDURE**

I, Mrs./Mr. _____ declare that by undergoing
_____ Prenatal Diagnostic Test/ Procedure. I do not want to know the sex of my foetus.

Date: _____ Signature/Thump impression of the person undergoing
the Prenatal Diagnostic Test/ Procedure

In Case of thumb Impression:

Identified by (Name) _____ Age: _____ Sex: _____

Relation (if any): _____ Address & Contact No.: _____

Signature of a person attesting thumb impression: _____ Date: _____

**DECLARATION OF DOCTOR/PERSON CONDUCTING
PRE NATAL DIAGNOSTIC PROCEDURE/TEST**

I, _____ (name of the person conducting ultrasonography/image scanning) declare that while conducting ultrasonography/image scanning on Ms./ Mr. _____ (name of the pregnant woman or the person undergoing pre natal diagnostic procedure/ test), I have neither detected nor disclosed the sex of her fetus to anybody in any manner.

Signature: _____

Date: _____

Name in Capitals, Registration Number with Seal of the
Gynaecologist /Radiologist/Registered Medical Practitioner
Conducting Diagnostic procedure

[F No. V.11011/6/2013-PNDT]

Dr RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide G.S.R 1 (E), dated the 1st January, 1996 and amended vide notification numbers G.S.R 109 (E), dated the 14th February, 2003; G.S.R 426 (E), dated the 31st May, 2011; G.S.R 80 (E), dated the 7th February, 2012; G.S.R 418 (E), dated the 4th June, 2012 and G.S.R 13(E), dated the 9th January, 2014.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935

No. 86]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

सा.का.नि.119(अ).—केन्द्रीय सरकार, गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 में नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

18क. समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता-(1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित साधारण आचार संहिता का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) सभी समय गरिमा और सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे;
- (ii) अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन और कार्यान्वयन कार्य के प्रक्रम को संतुलित और मानकीकृत रीति में करेंगे;
- (iii) अपने कार्य को न्यायसंगत रीति में बिना किसी पक्षपात या दोष की बोधगम्य उपधारणा से करेंगे;

- (iv) ऐसी टिप्पणियां करने से बचेंगे जो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर व्यक्तियों को अप्रतिष्ठित करती हैं;
- (v) अपनी अनुपस्थिति में प्रशासनिक आदेश द्वारा अपनी शक्तियों को किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त करेंगे और प्राधिकृत करने के आदेश को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दस्तावेजी सबूत के रूप में परिरक्षित करेंगे।

(2) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, सलाहकार समितियों के लिए निम्नलिखित संहिता का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि सलाहकार समिति के पुनर्गठन, कार्यों और अन्य सुसंगत विषय सलाहकार समिति नियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार होंगे;
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति जो गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) के अधीन मामलों के लिए अन्वेषण तंत्र का भाग है, को सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत या नियुक्त नहीं किया जाएगा;
- (iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सलाहकार समिति में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया रिक्ति कारित होने की संभावित तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्व आरंभ हो जाएगी;
- (iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि सलाहकार समिति में कोई व्यक्ति सदस्य या विधिक विशेषज्ञ के रूप में भाग नहीं लेगा यदि उसका कोई हित का द्वन्द्व है;
- (v) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, रद्दकरण और निलंबन के संबंध में विनिश्चयों का तेजी से निपटारा करने के लिए सलाहकार समिति की प्रायः बैठकें करेंगे।

(3) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, शिकायत और अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित साधारण आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) अधिनियम के अधीन प्रत्येक शिकायत या परिवाद के रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में समुचित डायरियां रखेंगे;
- (ii) सभी शिकायतों को देखेंगे और शिकायतों की अनुवर्ती कार्रवाई में पारदर्शिता रखेंगे;
- (iii) शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सभी शिकायतों का अन्वेषण करेंगे और ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा करेंगे;
- (iv) जहां तक व्यवहार्य हो, अधिनियम के अधीन मामलों के अन्वेषण के लिए पुलिस को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अधिनियम के अधीन मामलों का विचारण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शिकायत मामलों के रूप में किया जाता है।

(4) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों के रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) नवीकरण और नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 70 दिन की अवधि के भीतर निपटान करेंगे;
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाए यदि आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है।

(5) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, विधिक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) यह सुनिश्चित करेंगे कि साक्षियों के संरक्षण और व्यय संग्रहित रजिस्ट्रीकरण रकम में से चुकाए जाएंगे;
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की सभी अधिसूचनाओं को न्यायालय में मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए और उनकी एक प्रति को परिरक्षित किया जाएगा;

- (iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मामले फाइल करते समय मामले के सभी कागज पत्र, अभिलेख, विवरणियां, साक्ष्य पंचनामा और मामले की फाइल से उपाबद्ध अन्य तात्विक वस्तुएं मूल रूप में हों;
- (iv) प्रसुविधा के अभिग्रहण और सील करने में विधिक कार्रवाई के प्रक्रम में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया जाए;
- (v) यह सुनिश्चित करेंगे कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 के उपबंधों को कार्यान्वित करते समय, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन न हो;
- (vi) दोषमुक्ति के किसी आदेश की दशा में दोषमुक्ति से तीस दिन के भीतर किंतु दोषमुक्ति के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन से पूर्व उच्चतर न्यायालयों में अपील फाइल करने के लिए, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे।

(6) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और किए गए सभी रजिस्ट्रेशनों की सूचना को तुरंत रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्ररूप ज में रखेंगे।

(7) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ- साथ, अल्ट्रासाउंड उपस्करों के निम्नलिखित विनियम का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) अल्ट्रासाउंड मशीनों के विक्रय और आयात जिसके अंतर्गत पोर्टेबल या वापस-क्रय, असेम्बलड, उपहार की गई, स्क्रेप या डेमो भी शामिल हैं, की निगरानी करना;
- (ii) अल्ट्रासाउंड विनिर्माताओं, डीलरों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों के विक्रय से संबंधित किसी व्यक्ति से राज्य स्तर पर नियमित त्रैमासिक रिपोर्टों का सुनिश्चय;
- (iii) अरजिस्ट्रीकृत मशीनों की पहचान करने के लिए राज्य या जिले में विक्रय की गई और प्रचालन कर रही सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों का आवधिक सर्वेक्षण और परीक्षण संचालित करना;
- (iv) अरजिस्ट्रीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन के स्वामी और अरजिस्ट्रीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन के विक्रेता के विरुद्ध शिकायत फाइल करना;

(8) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, निरीक्षण और निगरानी के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) सभी रजिस्ट्रीकृत प्रसुविधाओं का प्रत्येक नब्बे दिन में एक बार नियमित निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति का दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिरक्षण करेंगे और निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण की गई प्रसुविधा के स्वामी को सौंपेंगे तथा निरीक्षण के संबंध में अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेंगे;
- (ii) तीन मास में एक बार सभी निरीक्षण रिपोर्टों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सलाहकार समिति के समक्ष रखेंगे;
- (iii) फाइल किए गए मामलों की संख्या और सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों, किए गए रजिस्ट्रीकरण, निलंबित या रद्द किए गए रजिस्ट्रीकरण, रद्द या निलंबित की गई चिकित्सा अनुज्ञप्तियां, किए गए निरीक्षण, जिला स्तर पर आयोजित की गई सलाहकार समिति की बैठकों की द्विमासिक प्रगति रिपोर्ट रखेंगे और राज्य स्तर पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट रखेंगे;
- (iv) (क) 7 दिन के अंदर विरचित आरोपों की प्रति प्राप्त करेंगे तथा चिकित्सकों की दशा में विरचित आरोपों के ब्यौरों को विरचित आरोपों की प्रति की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर राज्य चिकित्सा परिषद् को प्रस्तुत करेंगे;
- (ख) यथा संभव शीघ्र सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे और चिकित्सकों को सिद्धदोष ठहराए जाने की दशा में सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति, सिद्धदोष ठहराए जाने के आदेश की प्रति की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(9) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ साथ, जवाबदेही के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्:-

- (i) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित किसी संकल्प के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति या अनुमोदन प्राप्त करेंगे;
- (ii) अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर यदि कोई अपेक्षित हो तो, तुरंत कार्रवाई करेंगे और यदि ऐसा करने में वह असमर्थ रहता है या रहती है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 31 के अधीन संरक्षण का हकदार नहीं होगा और वह अपनी स्वयं की क्षमता एवं लागत पर मामले का बचाव करेगा।

(10) अधिनियम के अधीन अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी समुचित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित वित्तीय मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेंगे, अर्थात्:—

- (i) सभी स्तरों पर संयुक्त रूप से दो अधिकारियों द्वारा परिचालित पृथक् और स्वतंत्र बैंक खाता रखेंगे;
- (ii) धन के संवितरण के लिए पारदर्शिता को सुनिश्चय करेंगे और मानक सरकारी वित्तीय संनियमों का पालन करेंगे।

[फा.सं. बी.11011/8/2013-पीएनडीटी]

डा. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1996 को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 109(अ) तारीख 14 फरवरी, 2013; सा.का.नि. 426(अ) तारीख 31 मई, 2011; सा.का.नि. 80(अ) तारीख 7 फरवरी, 2012, सा.का.नि. 418(अ) तारीख 4 जून, 2012, सा.का.नि. 13(अ) तारीख 9 जनवरी, 2014 और सा.का.नि. 77(अ) तारीख 31 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2014

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :—

- (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, after rule 18, the following rule shall be inserted, namely:—

18-A Code of Conduct to be observed by Appropriate Authorities.— (1) *All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following general code of conduct, namely:-*

- (i) maintain dignity, and integrity at all times;
- (ii) observe and implement the provisions of the Act and Rules in a balanced and standardised manner in the course of their work;
- (iii) conduct their work in a just manner without any bias or a perceived presumption of guilt;

- (iv) refrain from making any comments which demean individuals on the basis of gender, race, religion ;
- (v) delegate his or her powers by administrative order to any authorised officer in his or her absence and preserve the order of authorisation as documentary proof for further action.

(2) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following Conduct for Advisory Committees, namely:—

- (i) ensure that the re-constitution, functions and other relevant matters related to advisory committee shall be in accordance with the provisions of the **Advisory Committee Rules, 1996**;
- (ii) ensure that a person who is the part of investigating machinery in cases under the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), shall not be nominated or appointed as a member of the Advisory Committee ;
- (iii) ensure that the process of filling up of vacancies in Advisory Committee shall start at least ninety days before the probable date of the occurrence of vacancy;
- (iv) ensure that no person shall participate as a member or a legal expert of the Advisory Committee if he or she has conflict of interest;
- (v) conduct frequent meetings of the Advisory Committee to expedite the decisions regarding renewal, cancellation and suspension of registration.

(3) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for processing of complaint and investigation, namely:—

- (i) maintain appropriate diaries in support of registration of each of the complaint or case under the Act ;
- (ii) attend to all complaints and maintain transparency in the follow-up action of the complaints;
- (iii) investigate all the complaints within twenty four hours of receipt of the complaint and complete the investigation within forty-eight hours of receipt of such complaint;
- (iv) as far as possible, not involve police for investigating cases under the Act as the cases under the Act are tried as complaint cases under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for registration and renewal of applications under the Act, namely:—

- (i) dispose of the application for renewal and new registration within a period of seventy days from the date of receipt of application;
- (ii) ensure that no application for fresh registration or renewal is accepted if any case is pending in any court against the applicant.

(5) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for Legal Action, namely:—

- (i) ensure that protection and expenses of witness shall be met from the registration amount collected ;
- (ii) ensure that all the notifications of the Government be produced in original in the court and a copy of the same be preserved ;
- (iii) ensure that while filing the cases, all the papers, records, statements, evidence, panchnama and other material objects attached to the case file shall be in original;
- (iv) suspend the certificate of registration in the course of taking legal action of seizure and sealing of the facility;
- (v) ensure that there shall be no violation of the provisions of the Medical Termination Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971) and the Rules made there-under while implementing the provisions of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996;
- (vi) take immediate action for filing appeal, revision or other proceeding in higher courts in case of order of acquittal within a period of thirty days but not later than fifteen days of receipt of the order of acquittal.

(6) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall submit quarterly progress report to the Government of India through State Government and maintain Form H for keeping the information of all the registrations made readily available.

(7) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following regulation of ultrasound equipments, namely:—

- (i) monitor the sales and import of ultrasound machines including portable or buyback, assembled, gift, scrap or demo;
- (ii) ensue regular quarterly reports from ultrasound manufacturers, dealers, wholesalers and retailers and any person dealing with the sales of ultrasound machines at the State level;

- (iii) conduct periodical survey and audit of all the ultrasound machines sold and operating in the State or district to identify the unregistered machines;
- (iv) file complaint against any owner of the unregistered ultrasound machine and against the seller of the unregistered ultrasound machine.

(8) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for inspection and monitoring, namely:—

- (i) conduct regular inspection of all the registered facilities once in every ninety days and shall preserve the inspection report as documentary evidence and a copy of the same be handed over to the owner of facility inspected and obtain acknowledgement in respect of the inspection;
- (ii) place all the inspection reports once in three months before the Advisory Committee for follow up action;
- (iii) maintain bimonthly progress report containing number of cases filed and persons convicted, registration made, suspended or cancelled, medical licenses cancelled, suspended, inspections conducted, Advisory Committee meetings held at the district level and quarterly progress report at the State level;
- (iv) (a) procure the copy of the charges framed within seven days and in the case of doctors, the details of the charges framed shall be submitted within seven days of the receipt of copy of charges framed to the State Medical Council;
(b) procure the certified copy of the order of conviction as soon as possible and in the case of conviction of the doctors, the certified copy of the order of conviction shall be submitted within seven days of the receipt of copy of the order of conviction.

(9) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall observe the following conduct for accountability, namely:—

- (i) obtain prior sanction or approval of the Government of India for any resolution concerning the implementation of the provisions of the Act ;
- (ii) take action, if any, required under the Act and immediately on receipt of notice under clause (b) of sub-section (1) of section 28 of the Act and if he or she fails to do so, shall not be entitled for the protection under section 31 of the said Act and defend the case in his or her own capacity and at his or her own cost.

(10) All the Appropriate Authorities including the State, District and Sub-district notified under the Act, inter-alia, shall follow the following financial guidance, namely:—

- (i) maintain a separate and independent bank account operated by two officers jointly, at all levels ;
- (ii) ensure transparency and adherence to standard Government financial norms for disbursement of money.

[F. No. V. 11011/8/2013-PNDT]
Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R 1(E), dated the 1st January, 1996 and amended, by notification No. G.S.R. 109(E), dated the 14th February, 2003; G.S.R. 426(E), dated the 31st May, 2011; G.S.R. 80(E), dated the 7th February, 2012; G.S.R. 418(E), dated the 4th June, 2012; G.S.R. 13(E), dated the 9th January, 2014 and G.S.R. 77(E) dated 31st January, 2014.